

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज०)

दुर्गाशंकर मीना (RAS)

पीठिकासीन अधिकारी :-

144 / 2019

वाद पत्र संख्या :-

1. नरेन्द्र कुमार आयु 33 वर्ष आ० गोपाल जाति धाकड़ निवासी रंगपुरिया तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज०

-वादी

बनाम

1. गोपाल आयु 65 वर्ष आ० बाला जाति धाकड़ नि० रंगपुरिया तह० के० पाटन जिला बून्दी
2. मुकेश कुमार आयु 28 वर्ष आ० गोपाल जाति धाकड़ नि० रंगपुरिया तह० के० पाटन जिला बून्दी
3. राजस्थान राज्य सरकार जयें तहसीलदार के० पाटन

-प्रतिवादीगण

वाद:- अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि

अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज० टि० एक्ट

उपरिस्थिति :-

- 1- वादी की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट
- 2- प्रतिवादी की और से श्री लक्ष्मीशंकर गुर्जर एडवोकेट

-::निर्णय::-

दिनांक: 22.10.2019

- 1- वादी के द्वारा दिनांक 24.09.2019 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा का पेश किया गया।
- 2- वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 41 व पुराना 40 की कृषि भूमि खसरा संख्या 16 रकबा 0.08 है०, खसरा संख्या 34 रकबा 0.56 है०, खसरा संख्या 35 रकबा 0.19 है०, खसरा संख्या 109 रकबा 0.33 है०, खसरा संख्या 122 रकबा 0.26 है०, खसरा संख्या 123 रकबा 0.32 है०, खसरा संख्या 341 रकबा 0.13 है०, खसरा संख्या 443/1 रकबा 0.01 है०, खसरा संख्या 563 रकबा 1.75 है०, खसरा संख्या 815 रकबा 0.85 है०, खसरा संख्या 829 रकबा 0.78 है०, खसरा संख्या 851 रकबा 0.28 है०, खसरा संख्या 886 रकबा 0.61 है०, कुल कित्ता 13 कुल रकबा 6.15 है० वाके ग्राम व माल रंगपुरिया, पटवार हल्का चितावा तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० मे विस्थित है । मूल पुरुष गोपाल है।

उपखण्ड अधिकारी  
के. पाटन (बून्दी)

गोपल का पुत्र नरेन्द्र कुमार एव प्रतिवादी संख्या 2 मुकेश कुमार है। वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी भूमि है जो पुरखो से पीढ़ी दर पीढ़ी दर्ज चली आ रही है जिसमें वादी 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है की वादी पृथक से निवास कर रहा है स्वयं तथा अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली कृषि भूमि का हिस्सा प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते मे दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बय या अन्यत्र हस्तान्तरण करने पर अमादा है अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विधिवत रूप से 1/3-1/3 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावे ।


3- वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के वाद पत्र का इकबालिया जो जवाब पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 21.10.2019 को राजीनामा पेश किया गया ।


4- बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21.10.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया । राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है ।

### --:निर्णय:-

परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है । खाता संख्या नया 41 व पुराना 40 की कृषि भूमि खसरा संख्या 16 रकबा 0.08 है0, खसरा संख्या 34 रकबा 0.56 है0, खसरा संख्या 35 रकबा 0.19 है0, खसरा संख्या 109 रकबा 0.33 है0, खसरा संख्या 122 रकबा 0.26 है0, खसरा संख्या 123 रकबा 0.32 है0, खसरा संख्या 341 रकबा 0.13 है0, खसरा संख्या 443/1 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 563 रकबा 1.75 है0, खसरा संख्या 815 रकबा 0.85 है0, खसरा संख्या 829 रकबा 0.78 है0, खसरा संख्या 851 रकबा 0.28 है0, खसरा संख्या 886 रकबा 0.61 है0, कुल कित्ता 13 कुल रकबा 6.15 है0 वाके ग्राम व माल रंगपुरिया, पटवार हल्का चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को 1/3-1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा । तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे । उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।



  
(दुर्गाशंकर मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
केशवरायपाटन जिला बून्दी

**डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई**  
**(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)**  
**(Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)**

अज अदालत  
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के० पाटन

इजलास – दुर्गाशंकर मीना  
(आर.ए.एस.)

**नरेन्द्र कुमार v/s गोपाल वगै०**

**वाद:- अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि**


**मुकदमा नम्बर :: 144 / 2019**


वादी की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री लक्ष्मीशंकर गुर्जर की ओर से उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 22.10.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि—

“वादी का वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है । खाता संख्या नया 41 व पुराना 40 की कृषि भूमि खसरा संख्या 16 रकबा 0.08 है०, खसरा संख्या 34 रकबा 0.56 है०, खसरा संख्या 35 रकबा 0.19 है०, खसरा संख्या 109 रकबा 0.33 है०, खसरा संख्या 122 रकबा 0.26 है०, खसरा संख्या 123 रकबा 0.32 है०, खसरा संख्या 341 रकबा 0.13 है०, खसरा संख्या 443/1 रकबा 0.01 है०, खसरा संख्या 563 रकबा 1.75 है०, खसरा संख्या 815 रकबा 0.85 है०, खसरा संख्या 829 रकबा 0.78 है०, खसरा संख्या 851 रकबा 0.28 है०, खसरा संख्या 886 रकबा 0.61 है०, कुल कित्ता 13 कुल रकबा 6.15 है० वाके ग्राम व माल रंगपुरिया, पटवार हल्का चितावा तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को 1/3-1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन जिला बून्दी को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे।”

नीज ..... ग ..... मुबलिक ..... ग ..... बाबत ..... ग .....  
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ..... ग ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से  
तारीख वसूलवादी तक ..... ग ..... को अदा करे।

वसूल से दिस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.10.2019 को जारी की गई।



  
(दुर्गाशंकर मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
केशवरायपाटन

